



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मई 12—मई 18, 2013, शनिवार/वैशाख 22—वैशाख 28, 1935
No. 12] NEW DELHI, MAY 12—MAY 18, 2013, SATURDAY/VAISAKHA 22—VAISAKHA 28, 1935

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (भंडार) पद, भर्ती नियम, 1998 को जहां तक उनका संबंध, भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख' पदों से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में समूह 'ग' (भंडार) पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, समूह 'ग' (भंडार सहायक 'क' तथा भंडार सहायक 'ख') पद, भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद का नाम, संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पद का नाम, संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन और वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।**6. व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।**अनुसूची**

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भंडार सहायक 'ख'	200* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु.5200—20200 एवं ग्रेड वेतन रु. 2400	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी		
(7)			(8)	(9)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा		
(10)			(11)		
(i) 75% प्रोन्नति द्वारा (ii) वेतन बैंड-1 में 5200-20200 वेतनमान एवं 1900 रु. ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित भंडार सहायक 'क' में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, 25% प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर प्रोन्नति द्वारा।			प्रोन्नति : वेतन बैंड-1 में 5200-20200 वेतनमान एवं 1900 रु. ग्रेड वेतन में ऐसा भंडार सहायक 'क' जिसने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में आठ वर्ष तक नियमित सेवा की हो।		

(10)

परन्तु यदि किसी वर्ष संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति II समूह में भंडार सहायक 'ख' की श्रेणी में भरी जाने वाली कुल रिक्तियां 8 से कम हैं, तो उस वर्ष इस समूह के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

(11)

परन्तु इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को भंडार सहायक 'क' का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए भंडार सहायक 'ख' के पद पर प्रोन्नति के लिए संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में पात्रता सेवा पांच वर्ष ही रहेगी।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना

भर्ती करते हुए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

विभागीय प्रोन्नति समिति II का संघटन

1. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का प्रमुख —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना अथवा प्रयोगशाला का कोई अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II से अनधिक पंक्ति का कोई अधिकारी या समतुल्य अधिकारी —सदस्य
3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I अथवा वैज्ञानिक 'सी' के पद से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी जिसका संबंधित डीपीसी-II की संघटक स्थापना(ओं)/प्रयोगशाला(ओं) से संबंध न हो। —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. भंडार सहायक 'क'	235* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5200—20200 एवं ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों को साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष और अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस वर्ष तक की छूट दी जा सकती है)। टिप्पण : अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख इन पदों के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

(7)	(8)	(9)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं अथवा समतुल्य उत्तीर्ण। (ii) कम्प्यूटर पर कौशल परीक्षा : अंग्रेजी अंकण @ 35 शब्द प्रति मिनट हिन्दी टंकण @ 30 शब्द प्रति मिनट (35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाव की औसत से 10500 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 कुंजी डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप है)। समय-10 मिनट	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
(12)	(13)	
विभागीय प्रोन्नति समिति II का संघटन (पुष्टि पर विचार करने के लिए)	आवश्यक नहीं।	
1. सबद्ध स्थापना या प्रयोगशाला का प्रमुख	—अध्यक्ष	
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी	—सदस्य	
3. किसी अन्य प्रयोगशाला/स्थापना या मुख्यालय से कोई एक अधिकारी जो संबंधित स्थापना/प्रयोगशाला के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर के रैंक का हो	—सदस्य	

[फा. सं. मासविनि/76257/भण्डार सहायक 'क' एवं 'ख'/आरआर/सी/पी/02]
 एस. डी. भसोर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 11(अ) दिनांक 29 मई, 1998 में प्रकाशित किये गये थे।

MINISTRY OF DEFENCE

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 23rd April, 2013

S.R.O. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence, Research and Development Organisation, Ministry of Defence Group 'C' (Stores) posts Recruitment Rules, 1998, in so far as they relate to the post of Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B' except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' (Stores) posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Group 'C' (Store Assistant 'A' and Store Assistant 'B') post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Name of post, number, classification and pay band and grade pay/pay scale.—The name of post, number, its classification and the pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be specified in columns (1) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. Disqualification.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Store Assistant 'B'.	200* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Non-Selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruitments			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
Not applicable			Not applicable	Not applicable	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
(i) 75% by promotion. (ii) 25% by promotion on the basis of Limited Departmental Competitive Examination from Store Assistant 'A' in the Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 1900 with five years' regular service in the grade, failing which by promotion.			Promotion : Store Assistant 'A' in the scale of pay of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 in PB-1 with eight years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis. Provided that the eligibility service for promotion to the post of Store Assistant 'B' shall continue to be five years for persons holding the post of Store Assistant 'A' on regular basis in the respective Departmental Promotion Committee-II Group on the date of notification of these rules.		

(10)	(11)
Provided that if the total number of Vacancies to be filled in a year in the grade of Store Assistant 'B' in the respective Departmental Promotion Committee II Group is less than 8, no Limited Departmental Competitive Examination shall be held for the group in that year.	Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

Composition of Departmental Promotion Committee II

Not applicable.

1. Head of the Concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. An officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-II or equivalent Officer of the concerned Establishment or Laboratory —Member
3. An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade-I or Scientists 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment(s)/Laboratory (ies) of the respective DPC-II Group. —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Store Assistant 'A'	235* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted Ministerial	Pay Band-1 : Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in the case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or the Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determination the age-limit in the case of candidates shall be the last date of receipt of applications from as specified in the advertisement of Defence Research and Development Organisation for the posts.

(7)	(8)	(9)
Essential :	Not applicable	Two years
12th Class pass or equivalent from a recognized Board or University.		
Skill test on Computer :		
English Typing @ 35 words per minutes or Hindi Typing @ 30 words per minutes.		
(35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word).		
Time - 10 minutes.		
(10)		(11)
By direct recruitment		Not applicable
(12)		(13)
Composition of Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)		Not necessary.
1. Head of the Concerned Establishment or Laboratory	—Chairman	
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member	
3. An Officer from another Laboratory/Establishment or HQrs equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment	—Member	

[F. No. DHRD/76257/Store Assistant 'A' & 'B'/RRs/C/P/02]

S. D. BHASOR, Under Secy.

Foot Note : The previous rules were published in the Official Gazette *vide* S.R.O. No. 11E dated the 29th May, 1998.